अनुक्रमांक/Roll No. | 0 | 0 | 0 | | | |

M.P. H.J.S. (L.C.E.) – 2021

द्वितीय प्रश्न–पत्र
2nd QUESTION PAPER

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 19
No. of Printed Pages : 19

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answers to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. This Question Paper consists of 6 Questions & the candidates are required to write answer of questions in Answer Book provided, Q. No. 4, 5 & 6 have internal choices.
इस प्रश्न पत्र में 6 प्रश्न है तथा अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर इस हेतु दी गयी उत्तर पुस्तिका में ही लिखने है, प्रश्न क्र. 4,5 एवं 6 में आंतरिक विकल्प उपलब्ध है।

3. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Any attempt to disclose identity, in any other part thereof, shall disqualify the candidature.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। किसी प्रकार से किसी अन्य भाग पर कोई भी पहचान चिन्ह या नाम दर्ज करने पर उम्मीदवारी निरर्हित हो जावेगी।

4. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय है तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

RULES AND ORDERS (CIVIL & CRIMINAL)
नियम एवं आदेश (व्यवहार एवं आपराधिक)

Q.No. / प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks / अंक
1(a)	Describe in short guidelines and directions issued under Rule 135 of M.P.Rules and Orders (Criminal) in relation to granting permission to compound of offences. मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक) नियम 135 में समझौते की अनुमति के संबंध में दिए गए मार्गदर्शन एवं निर्देश का संक्षिप्त में उल्लेख करें।	4
1(b)	Describe in short the directions issued under rules 363 of M.P. Rules and Order Criminal in relation to realization of fine. मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक) के नियम 363 में अर्थदण्ड वसूल करने के संबंध में दिए गए निर्देशों का संक्षिप्त में उल्लेख करें।	4
1(c)	Describe in short the directions recording of evidence given in Rule 146 of M.P. Civil Court 1961. मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम 1961 के नियम 146 में साक्ष्य के अभिलेखन के संबंध में दिए गए दिशानिर्देश का संक्षेप में उल्लेख करें	4
1(d)	Describe in short the directions regarding adjournments given in Rule 120 and 121 of M. P. Civil Court, 1961. मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम 1961 के नियम 120 एवं 121 में स्थगन के लिए दिए निर्देशों का संक्षेप में उल्लेख करें।	4
1(e)	What are the directions incorporated in Rule 232 of M. P. Civil Court in relation to police help in execution of civil decree. सिविल डिक्री निष्पादन के मामले में पुलिस सहायता के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय 1961 के नियम 232 में जारी दिशानिर्देश क्या हैं? संक्षेप में उल्लेख करें।	4

KNOWLEDGE OF CURRENT LEADING CASES
प्रचलित अग्रनिर्णयों का ज्ञान

Q.No. / प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks / अंक
2.	Briefly state the principles of law laid down in the following cases and also point out divergence, if any, from the view as taken in the earlier decisions on the subject. निम्नलिखित प्रकरणों में प्रतिपादित विधि के सिद्धान्तों का संक्षेप में वर्णन कीजिये और संबंधित विषय पर पूर्ववर्ती निर्णयों में लिये गये विचार से विचलन, यदि कोई हो, तो इंगित कीजिये।	20

(i) Mastram v. Karelal through L.Rs. 2019 (3) MPLJ 688
मस्तराम वि. करेलाल द्वारा विधिक प्रतिनिधि 2019 (3) एम पी एल जे 688

(ii) Jagjeet Singh Lyallpuri (dead) through Legal Representatives and ors. V. Unitop Apartments and Builders Limited (2020) 2 SCC 279
जगजीत सिंह ल्यालपुरी (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि व अन्य बनाम यूनीटोप अपार्टमेण्ट व बिल्डर्स लिमिटेड, (2020) 2 एस सी सी 279

(iii) Amar Singh v. Kamla @ Sapna Panthi and ors. 2019 (3) MPLJ 200 (DB)
अमर सिंह वि. कमला उर्फ सपना पन्थी 2019 (3) एम पी एल जे 200 (डी.बी.)

(iv) Bharat Sanchar Nigam Limited and others v. Pramod V. Sawant and anr. AIR 2019 SC 3929
भारत संचार निगम लिमिटेड व अन्य वि. प्रमोद वी. सावंत व अन्य, ए आई आर 2019 सु. को. 3929

Q.No. / प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks /अंक
3.	**Summaries (in 150 to 200 words) the facts contained in the following passage –**	10

Prosecution case in short is that on 30.11.12, Ramvati, on foot, was going towards her sister's house via Shobhapur railway gate. Near Sidha Kund Temple a boy came from behind and snatched her gold ear-pendant worth Rs.5000/- and ran away. She can identify the boy and her ear-pendant also. Report to the incident lodged at PS Ghamapur. A case u/S 392 IPC against an unknown boy has been registered at police station. Spot map has been prepared. On 03.03.13, accused Ramgopal arrested. On interrogation, as per his say, a Golden ear-pendant from his possession has been seized. After completion of investigation, Charge-sheet was filed in the court of JMFC, Jabalpur. Lower court committed the case to the Sessions Judge. Charges u/Ss. 392 and 394 I.P.C. have been read over to the accused, he abjured the guilt. On examination under S. 313 Cr.P.C. he stated that he has falsely been implicated in the matter. No evidence, in the defence has been produced by the accused. In present case, in fact, neither the complainant nor the independent witnesses have affirmed prosecution story. Witnesses did not give any evidence against the accused. It has also not clear from the statements of ASI R. Sharma (PW 7) about which ear-pendant, accused disclosed any fact. It has also not been established that which ear-pendant was recovered from the possession of the accused and which one was identified by the

complainant. Therefore, evidence of ASI Sharma (P.W.7) also does not have any bearing. In the light of evidence produced by the prosecution it has not been proved beyond reasonable doubt that the accused person looted and caused hurt to the complainant Ramvati and offence u/Ss. 392 and 394 I.P.C. has not been proved beyond reasonable doubt against the accused. As prosecution failed to prove guilt of the accused beyond reasonable doubt and offences u/Ss. 392 and 394 I.P.C. have not been proved against the accused, therefore, accused Ramgopal S/o Ramhit aged about 30 years R/o Naibasti, Bada Pathar, Near Hanuman Temple, PS Ranjhi, Jabalpur is acquitted from the charges of Ss. 392 and 394 I.P.C.

निम्नलिखित गद्यांश में वर्णित तथ्यों को संक्षेप में (150 से 200 शब्दों में) लिखिये –

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30.11.2012 को रामवती शोभापुर रेल्वे गेट से होते हुए पैदल अपनी बहन के घर जा रही थी। सिद्धकुंड मंदिर के पास पीछे से एक लड़का आया और उसके कान का झुमका कीमत लगभग 5,000/– रुपये छुड़ाकर भाग गया। वह उस लड़के और अपने कान के झुमके को भी पहचान सकती है। घटना की रिपोर्ट थाना घमापुर में की गई। पुलिस स्टेशन पर भा.द.वि. की धारा 392 के अंतर्गत अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। दिनांक 03. 03.2013 को अभियुक्त रामगोपाल को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर उसके बतलाए अनुसार सोने का कान का झुमका उसके कब्जे से जब्त किया गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र जे.एम.एफ.सी., जबलपुर की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामला विचारण हेतु सत्र न्यायाधीश कमिट किया। अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा 392 व 394 के आरोप पढ़कर सुनाए गए। उसने अपराध करना अस्वीकार किया। द.प्र.स. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में उसने स्वयं को मामले में झूठा फंसाया जाना बतलाया। अपने बचाव में अभियुक्त की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। वर्तमान मामले में वस्तुतः न तो फरियादी और न ही स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन कहानी का समर्थन किया है। साक्षियों ने अभियुक्त के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं दी है। साक्षी आर शर्मा (पी. डब्ल्यू.7) के कथनों से भी स्पष्ट नहीं है कि किसी कान के झुमका के बारे में अभियुक्त के द्वारा कोई तथ्य बतलाया गया। यह भी स्थापित नहीं है कि कौन सा कान का झुमका अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुआ और फरियादी द्वारा पहचाना गया। अतः ए.एस.आई. शर्मा (पी.डब्ल्यू.7) की साक्ष्य का कोई महत्व नहीं है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के प्रकाश में यह शंका से परे प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त द्वारा ही फरियादी रामवती से लूट कारित की गई और उसे उपहति कारित की गई। भा.द.वि. की धारा 392, 394 के आरोप अभियुक्त के विरूद्ध शंका से परे प्रमाणित नहीं हैं चूंकि अभियोजन अभियुक्त का दोष शंका से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है और भा.द.वि. की धारा 392, 394 के अपराध उसके विरूद्ध प्रमाणित नहीं हुए हैं। अतः अभियुक्त रामगोपाल पिता रामहित, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी नयी बस्ती, बड़ा पत्थर, हनुमान मंदिर के समीप, थाना–रांझी, जबलपुर को भा.द.वि. की धारा 392, 394 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

SETTLEMENT OF ISSUES

4.a. Settle the issues on the basis of the pleadings given hereunder **10**

Pleadings of the plaintiff :-

The plaintiff is a limited company constituted under Indian Companies Act, 1956. Shree Vijay Kumar Kapoor is additional Manager in charge of plaintiff's Jabalpur office. He is the principal officer within the meaning of provisions of Order XXIX Rule 1 of the Code of Civil Procedure 1908 & competent to sign and verify the pleadings on behalf of the plaintiff. Defendant No. 1 is also a company registered under Companies Act. Defendant No. 2 is Director in-charge of the defendant No. 1. Defendant No. 1 produces various products of English Liquor. The plaintiff has a printing unit at Nagpur and print labels for products of various manufacturers. The defendant No.1 also used to place orders for printing and supplying labels for its products. The plaintiff would supply the labels on credit from time to time as per requirements of defendant No.1. Defendant would make payments from time to time.

By order No. 6 dated 6.9.95, No.7 dated 7.7.95, No. 8 dated 7.7.95 and No. 11 dated 1.9.94, defendant company placed orders for supply of labels for their products of Whiskey, Rum and Gin. Pursuant to orders the plaintiff company time to time in between the period of 30.6.95 to 18.9.95, under various bills, supplied labels worth Rs.5,46,830.37 paisa to the defendant. Defendant Company time to time paid total Rs.1,60,000/- to the plaintiff. Rest of the amount of Rs.3,86,830.37 paisa was due against the defendant. In spite of repeated demands defendant failed to repay the outstanding amount. Vide letter dated 11.12.95 defendant company confirmed the rates for the labels supplied to it. Vide letter dated 17.05.96 defendants confirmed the balance outstanding against them. As per contract of supply, in case of failure of payment within 15 days of delivery defendants are required to pay interest @30% per annum from the date of supply. The plaintiff however, claims interest @12% per annum from 17.5.96. In spite of notice defendant failed to pay the money, therefore, this suit for recovery of Rs.3,86,830.37 paisa and interest Rs.1,27,654.00 total Rs.5,14,484.37 and further interest @12% per annum till the date of payment has been filed.

Pleadings of the defendants :-

Defendant No.1 in written statement admitted its status of a Company. It has been denied that Vijay Kumar Kapoor is Addl. Manager in-charge of the plaintiff. It has also been denied that defendant No. 2 is the Managing Director to defendant No. 1. It has been pleaded that defendant No. 2 and one Sardar Manmohan Singh have been removed from the post of director long back. At present Abhishek Bais and Shri Anand Pillai are its new Directors. Present Directors have no knowledge of any orders placed with the plaintiff for printing of any labels. Records of the company are seized by Income Tax Department. Any outstanding against the defendant has also been denied. Defendant No. 2 is not the Director of the defendant Company. Suit is not tenable against retired Director and a prayer for dismissal of suit has been made.

Defendant No. 2, in written statement denied that he is the director of Defendant Company. It has also been denied that any order placed to the plaintiff or any payment made. It has also been denied that he received any notice from the plaintiff. It has been pleaded that on 20th September 1999 he has been removed from the post of director. It has also been pleaded that the suit is barred by limitation and also under the provisions of Companies Act. This court has no jurisdiction to try the suit. He has unnecessarily been implicated in the suit. Under the pleading he made a prayer for dismissal of suit.

निम्नांकित तथ्यों के आधार पर वादप्रश्नों की रचना कीजिये –

वादी के अभिवचन :–

वादी इंडियन कंपनीज एक्ट, 1956 के अंतर्गत गठित एक कंपनी है। श्री विजय कुमार कपूर कंपनी के जबलपुर स्थित कार्यालय के अतिरिक्त मैनेजर व इंचार्ज हैं। वे व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 29 नियम 1 के अंतर्गत कंपनी के प्रमुख अधिकारी हैं और वादी की ओर से अभिवचनों को हस्ताक्षरित व सत्यापित करने हेतु सक्षम हैं। प्रतिवादी क्र.1 भी कंपनीज अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी है। प्रतिवादी क्र.2, प्रतिवादी क्र.1 कंपनी का डायरेक्टर इंचार्ज है। प्रतिवादी क्र.1 अंग्रेजी शराब के विभिन्न उत्पादों का उत्पादन करती है। वादी की नागपुर में एक प्रिंटिंग यूनिट है और वादी द्वारा विभिन्न निर्माताओं के उत्पादों के लेबल्स की प्रिंटिंग का

कार्य किया जाता है। प्रतिवादी क्रमांक 1 भी अपने उत्पादों के लिए वादी को लेबल्स की प्रिंटिंग व सप्लाई हेतु आदेश देता रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादी क्र.1 को समय–समय पर उधारी में उसकी आवश्यकतानुसार लेबल्स का प्रदाय किया जाता था। प्रतिवादी द्वारा समय–समय पर भुगतान किया जाता था। आदेश क्र.6 दिनांक 06.09.95, क्रमांक 7 दिनांक 07.07.95, क्रमांक 8 दिनांक 07.07.95 एवं क्रमांक 11 दिनांक 01.09.94 अनुसार प्रतिवादी कंपनी ने अपने व्हिस्की, रम, जिन आदि प्रोडक्ट्स के लिए लेबल्स सप्लाई करने हेतु वादी को आदेश दिये। उक्त आदेशों के पालन में वादी कंपनी ने समय–समय पर 30.6.95 से 18.09.95 की अवधि में विभिन्न बिलों के तहत प्रतिवादी को कुल रुपये 5,46,830.37 के लेबल्स सप्लाई किये। प्रतिवादी कंपनी ने समय–समय पर कुल 1,60,000/–रुपये वादी को अदा किये। शेष रुपये 3,86,830.37 प्रतिवादी की ओर बकाया थे। बार–बार मांग किये जाने के बावजूद प्रतिवादी बकाया राशि अदा करने में असफल रहा। पत्र दिनांक 11.12.95 अनुसार प्रतिवादी कंपनी ने उसे सप्लाई किये गये लेबल्स की दर की पुष्टि की। पत्र दिनांक 17.05.96 अनुसार प्रतिवादी ने उसकी ओर बकाया राशि की पुष्टि की। सप्लाई अनुबंध अनुसार डिलिवरी से 15 दिवस में भुगतान में असफल रहने पर प्रतिवादीगण वादी को 30 प्रतिशत वार्षिक की दर से बकाया राशि पर ब्याज अदा करने के दायी हैं परंतु वादी सिर्फ 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से दिनांक 17.05.96 से ब्याज की मांग करता है। सूचना पत्र के बावजूद भी प्रतिवादी बकाया राशि अदा करने में असफल है इसलिए बकाया राशि रु.3,86,830.37 और ब्याज रुपये 1,27,154 कुल रुपये 5,14,484.37 तथा 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से तअदायगी तक ब्याज हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादी के अभिवचन :–

प्रतिवादी क्र.1 ने जवाबदावा में अपनी कंपनी का अस्तित्व होना स्वीकार किया है। विजय कुमार कपूर को वादी का अतिरिक्त मैनेजर इंचार्ज होने से इंकार किया है। इस बात से भी इंकार किया है कि प्रतिवादी क्र.2 प्रतिवादी क्र.1 का मैनेजिंग डायरेक्टर है। यह अभिवचन किया है कि प्रतिवादी क्र.2 और 1 और सरदार मनमोहन सिंह को काफी समय पहले डायरेक्टर की पोस्ट से हटाया जा चुका है। वर्तमान में अभिषेक वैश्य और आनंद पिल्लई कंपनी के नये डायरेक्टर हैं। वर्तमान डायरेक्टर्स को कंपनी को लेबल प्रिंटिंग हेतु दिये गये। आदेश की कोई जानकारी नहीं है। कंपनी का समस्त रिकॉर्ड आयकर विभाग द्वारा जप्त किया गया है। कंपनी की ओर किसी प्रकार की कोई राशि बकाया होने से इंकार किया गया है। प्रतिवादी क्र.2 कंपनी का डायरेक्टर नहीं है। सेवानिवृत्त डायरेक्टर के विरूद्ध वाद पालन योग्य न होना अभिवचनित करते हुए दावा निरस्त करने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी क्र.2 ने अपने जवाबदावे में प्रतिवादी कंपनी का डायरेक्टर होने से इंकार किया है। वादी कंपनी को कोई आदेश प्रदाय किये जाने से और

कोई भुगतान किए जाने से भी इंकार किया है। वादी की ओर से कोई सूचना पत्र भी प्राप्त करने से इंकार किया है। यह अभिवचन किया है कि 20 सितंबर 99 को उसे डायरेक्टर के पद से हटा दिया गया था। यह भी अभिवचन किया है कि दावा समयावधि बाह्य है और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस न्यायालय को वाद के विचारण का अधिकार नहीं है। उसे अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है और अपने अभिवचनों के आधार पर वाद निरस्त करने का निवेदन किया है।

OR

FRAMING OF CHARGES **10**

4.b. **Frame a charge/charges on the basis of allegations given here under -**

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS

'X' was called to police station Palasia on 8-6-2021 through head constable with regard to investigation of Crime No.57/2021 for offence punishable under section 457 and 380 I.P.C. He was interrogated at the police station by accused T and was confined in the lock-up and was subjected to third degree torture. He was given electric shock on his scrotum with the intention to extort the confession for the crime of alleged theft. Due to torture and electric shock condition of X deteriorated. He was released on 11 June 2021. X was handed over to Y and Z, who took X to his house. He was looked after by his family members. His condition worsened on 13 June 2021. He was sent to private hospital for treatment. Doctor referred X to higher center. Information of incident was given to S.P.Indore with request to inquire the matter and help in treatment. Ultimately X was admitted in M.Y.Hospital, Indore. Doctors tried to save X but he died on 13 June 2021. The case was registered in Police Palasiya on 14 June 2021.

The postmortem was performed. Doctor found one oval shaped charring wound on each side of anterior of scrotum, no other external injury were found. Cause of death of coma caused by inter cranial hemorrhage which might be due to hyper tension.

After formal investigation charge sheet was submitted before the court.

निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये –

<u>अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन</u> –

अपराध कमांक 57/21 जो कि धारा 457 एवं 380 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध से दंडनीय था, के अनुसंधान के सिलसिले में एक्स को पुलिस थाना पलासिया द्वारा दिनांक– 08.06.2021 को प्रधान आरक्षक के माध्यम से को थाने बुलवाया गया। उससे थाने में अभियुक्त टी द्वारा पूछतांछ की गयी, उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया और उसे अत्याधिक प्रताड़ित किया गया। चोरी के कथित अपराध में संस्वीकृति प्राप्त करने के आशय से उसके स्कोटम (अंडकोष की थैली) में विघुत के झटके दिये गये। प्रताड़ना और विघुत के झटकों से एक्स की दशा और खराब हो गयी। उसे 11 जून 2021 को छोड़ा गया। एक्स को वाय और जेड को सौंपा गया, जो उसे उसके घर ले गये। उसकी देखभाल उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की जा रही थी। 13 जून 2021 को उसकी दशा और खराब हो गयी। उसे इलाज के लिए प्रायवेट अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने एक्स को उच्च सेन्टर रेफर किया। पुलिस अधीक्षक, इंदौर को घटना की सूचना मामले की जांच और इलाज में सहायता के निवेदन के साथ की गयी। एक्स को एम.वॉय.अस्पताल, इंदौर में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने एक्स को बचाने का प्रयास किया परंतु 13 तारीख 2021 को वह मृत हो गया।

शव का शव परीक्षण किया गया। डॉक्टर द्वारा अंडाकार जलने का काला निशान दोनों स्कोटम (अंडकोष की थैली) के बाहरी भाग पर पाया गया। अन्य कोई बाह्य चोट नहीं पायी गयी। मृत्यु का कारण प्रगाढ़ मस्तिष्क के ऊतकों में अत्याधिक रक्त स्त्राव से हुए कोमा (प्रगाढ़ बेहोशी) से हुई थी और ऊतकों में रक्तस्त्राव उच्च रक्तस्त्राव के कारण हो सकता था। पुलिस थाना पलासिया में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा औपचारिक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>JUDGMENT WRITING</u>

<u>निर्णय लेखन</u>

Q.No. / प्र.क्र.	**Question / प्रश्न**	**Marks /अंक**

<u>JUDGMENT WRITING (CIVIL)</u>

5. a.	Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given hereunder after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts :-	**30**

1. Facts of plaint summarily are that appellant/plaintiff is a corporate body under the State Bank of India Act, 1955 having a

branch located at Kamla Nagar and the branch manager is empowered to present a plaint on behalf of the State Bank of India. Respondents/defendants Ram D.W.1, Mohan D.W.2, Smt. Sitabai D.W.3 R/O Village Devpura, Tehsil Kamla Nagar, are farmers and they have taken loan from the appellant bank for business and agricultural work on the prescribed interest, appellant Bank accepted the loan with interest to the respondents as per rules. This loan of Rs. 2,92,000/- was given by the appellant bank on 05.01.2014 through Kisan Credit Card to the respondents, an arrangement letter Ex.P.-1 was executed, agricultural land of the respondents, Khasra No. 1 to 7 total area 8.089 hectares were mortgaged by mortgage deed Ex.P.-2, which was also registered. The rate of interest of the appellant bank was fixed at 11.30 percent per annum at half-yearly intervals, which was transferred to the respondents in their loan account number 123456789. As on 30.07.2014 Rs. 3,16,634/- were due on respondents alongwith interest from 31.07.2014 to 07.12.2018 that is Rs. 1,54,195/- totaling Rs. 4,70,829/- were recoverable to appellant bank from the respondents. Respondents were irregular in payment. The appellant has given notice Ex.P.3 to the respondents for payment, but still they neither paid the amount nor gave any satisfactory reply. On behalf of bank the statement of Account Ex.P. 4 was also produced and was proved by bank Manager P.W.1, but suit was dismissed, hence this appeal.

2. The Respondents/defendents appeared in the court and denied all the pleadings made by appellant bank and stated that they have paid the entire amount (including interest). Bank Manager is a interested witness, so appeal be dismissed. No documentary evidence was produced on behalf of Respondents/defendents.

3. After considering the documentary and oral evidence adduced by the parties, the Ld. Trial Court rejected the plaint vide judgment and decree dated 22.09.2019 by holding that appellant has though proved disbursement of loan to respondents but has failed to prove its non-payment and any outstanding amount, so this appeal.

4. It is argued on behalf of the appellant bank that the Ld. Trial Court has neither properly appreciated the evidence nor correctly interpreted the provisions of law, so judgment & decree dated 22.09.2019 be set-aside & appeal be allowed.

निम्नलिखित अभिवचनों एवं साक्ष्य के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये –

1. वादपत्र के तथ्य अपीलार्थी/वादी अनुसार सारांशतः यह है कि अपीलार्थी भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत एक कॉर्पोरेट बॉडी है जिसकी एक शाखा कमला नगर में स्थित है और शाखा प्रबंधक को भारतीय स्टेट बैंक की ओर से दावा पेश करने का अधिकार है। प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण राम प्र. स.1, मोहन प्र.स.2, श्रीमती सीताबाई प्र.स.3 ग्राम देवपुरा, तहसील कमला नगर के निवासी होकर काश्तकार हैं और उन्होंने अपीलार्थी बैंक से निर्धारित ब्याज पर व्यवसाय हेतु एवं कृषि कार्य हेतु, ऋण प्रदान करने का निवेदन किया था जिसे स्वीकार कर प्रत्यर्थीगण को नियमानुसार ब्याज सहित ऋण दिया गया। यह ऋण दिनांक 05.01.2014 को अपीलार्थी बैंक ने प्रत्यर्थीगण को किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर दिया एवं 2,92,000/–रूपए का ऋण प्रदान किया, एक अरेंजमेंट लेटर प्र. पी.–1 निष्पादित हुआ, प्रत्यर्थीगण की कृषि भूमि खसरा नंबर 1 लगायत 7 कुल रकवा 8.089 हेक्टेयर का बंधक अभिलेख प्र.पी.–2 भी निष्पादित किया गया जिसका पंजीयन भी कराया गया। अपीलार्थी बैंक की ब्याज दर 11.30 प्रतिशत सालाना अर्धवार्षिक अंतराल की गणना तय की गई जो प्रत्यर्थीगण को उनके ऋण खाता क्रमांक 123456789 में अंतरण कर प्रदान की गई। दिनांक 30.07.2014 को अपीलार्थी बैंक को प्रत्यर्थीगण से 3,16,634/–रूपए लेना बकाया निकल रहा था और 31.07.2014 से 07.12.2018 तक ब्याज 1,54,195/–रूपए कुल मिलाकर 4,70,829/–रूपए अपीलार्थी बैंक को प्रत्यर्थीगण से लेना बाकी हैं। प्रत्यर्थीगण भुगतान में अनियमित रहे। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण को इस भुगतान हेतु नोटिस प्र. पी. 3 भी भेजा, लेकिन फिर भी उसने न तो राशि अदा की और न ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया, बैंक की ओर से स्टेटमेंट ऑफ एकाउन्ट प्र.पी. 4 प्रस्तुत कर उसे बैंक मैनेजर वा.सा. 1 से प्रमाणित कराया गया, परन्तु विचारण न्यायालय ने वाद निरस्त कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

2. प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपीलार्थी बैंक के सभी अभिवचनों से इंकार किया एवं कहा है कि उन्होंने सारी राशि (ब्याज सहित) अदा कर दी है। बैंक मैनेजर हितबद्ध साक्षी है, इसलिये अपील निरस्त की जावे। प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

3. उभयपक्ष की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना के उपरांत विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी बैंक का धन वसूली का दावा प्रमाणन न मानते हुये उसे निरस्त कर दिया और यह माना कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण को ऋण देना तो प्रमाणित किया है, लेकिन उसकी अदायगी न होना और शेष राशि

का होना प्रमाणित करने में विफल रहा है। स्टेटमेंट ऑफ एकाउन्ट को विशेषज्ञ की साक्ष्य के अभाव में सुसंगत व प्रमाणित ना होना मानते हुए निर्णय व अज्ञप्ति दिनांक 22.09.2019 द्वारा दावा निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

4. अपीलार्थी बैंक की ओर से तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आलोच्य निर्णय में साक्षियों की विवेचना, मूल्यांकन और विधि प्रावधानों का निर्वचन उचित रूप से नहीं किया है, इसलिये अपील स्वीकार की जावे और अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 22.09.2019 अपास्त किया जावे।

OR

JUDGMENT WRITING (CRIMINAL)

5\. b. Frame the points for determination and write a judgment on the basis of the allegations and evidence given here under by analyzing the evidence, keeping in mind the relevant provisions on the concerning law :-

1\. The prosecution story in brief is that on 02.01.2013 at around 3 pm, the complainant Ramlal's father Shyamlal was standing at the Tilmedi intersection on the way home from the farm, when the accused Mohan approached the complainant's father Shyamlal with a sickle in his hand. He came and abused in a filthy Language & assaulted Shyamlal P.W.1 with sickle, due to which Shyamlal got injury in his left ear and blood started flowing. The incident was witnessed by Suresh P.W.2 and Lal Singh P.W. 3. First information report Ex.P. 1 was got registered by complainant Ramlal, son of Shyamlal, at the Police station Vidisha, and case was taken up for the investigation. Map of the spot Ex.P. 2 was prepared and the statements of the witnesses were recorded, the medical examination of the injured was done report is Ex.P3, thereafter the accused was arrested vide arrest memo Ex.P.4 After being arrested and on information by the accused the sickle was seized vide seizure memo Ex.P.5. After investigation, the charge sheet was presented before Ld. trial court.

2\. Charges of offenses punishable under section 294, 324 and

506 (Part-2) have been framed by Ld. trial court against the accused. Total 9 witnesses have been examined by the prosecution in his support. The accused denied charges & pleaded being innocent and also that he has been falsely implicated in the case. Accused has not examined any witness in defense.

3. After considering the evidence on record and hearing arguments Ld. Trial court acquitted the accused for the offense punishable under Section 294 and 506 (Part-2) of the Indian Penal Code, but found him guilty of offense punishable under section 324, of the Act, and punished with rigorous imprisonment for 6 months and fine of Rs. 1000/-, in default of fine to undergo further imprisonment (simple) for 1 month.

4. The appeal is preferred by the accused on the ground that there is a dispute between accused and the complainant regarding the murder of the appellant's brother Balram. The statements of the witnesses examined by the prosecution have not been carefully analyzed by the Ld. Trial court. The injury caused to the victim is more likely to effect of hitting from a tin than from a sickle. The amount of fine has been deposited by the appellant with the Ld. Trial court. The impugned judgment and sentence passed by the trial court is liable to be set-aside for not being in conformity with the law & facts. So appeal be allowed & appellant be acquitted.On the other hand prosecution has requested to dismiss the appeal for being baseless and devoid of merit and also prayed that accused be convicted u/s 294 and 506 Part-2 I.P.C. because ingredients of these offences were proved.

नीचे दिये गये अभियोजन के मामले के आधार पर विचारणीय प्रश्न विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर विचारणीय बिन्दु बनाकर, निर्णय लिखिये –

1. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन का पक्ष यह रहा है कि दिनांक 02. 01.2013 को दोपहर करीब 3 बजे फरियादी रामलाल का पिता श्यामलाल खेत से घर आते समय रास्ते तिलमेड़ी तिराहे पर खड़ा हुआ था तभी आरोपी मोहन हाथ में दराता लेकर फरियादी के पिता श्यामलाल के पास आया और अश्लील की गालियाँ

देकर श्यामलाल अ.स.1 को दरांते से मार दिया, जिसके कारण श्यामलाल के कान में बांई तरफ चोट आई और रक्त बहने लगा। घटना सुरेश अ.स.2 व लालसिंह अ.स.3 ने देखी। घटना की रिपोर्ट प्र.पी. 1 आहत श्यामलाल के पुत्र फरियादी रामलाल द्वारा आरक्षी केंद्र विदिशा पर की गई, जिस पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान में घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी. 2 बनाया गया तथा साक्षियों के कथन अंकित किये गये एवं आहत का मेडीकल परीक्षण प्र.पी. 3 कराया गया, तत्पश्चात आरोपी को पंचनामा प्र.पी. 4 से गिरफ्तार किया जाकर आरोपी से पूछताछ किये जाने पर आरोपी से पंचनामा प्र.पी. 5 अनुसार दरांता जप्त किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोगपत्र विचारण न्यायालय में पेश किया गया।

2. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 324 एवं 506(भाग–2) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप विरचित किये गये। अभियोजन द्वारा पक्ष समर्थन में कुल 9 साक्षियों का परीक्षण कराया गया। आरोपी ने अभियुक्त परीक्षण के समय घटना से अनभिज्ञता प्रकट करते हुये स्वयं का निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना प्रकट किया है एवं बचाव में कोई साक्ष्य नहीं दी।

3. उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य एवं प्रस्तुत किये गये तर्क पर विचार किया जाकर विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दण्ड विधान की धारा 294 एवं 506(भाग–2) के अंतर्गत दण्डनीय आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया गया, किन्तु भा.द.वि. की धारा 324 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी पाकर आलोच्य दण्डाज्ञा से दण्डित किया है।

4. अपीलार्थी की ओर से अपील जिन आधारों पर प्रस्तुत की गई है, उनका सार यह है कि उसके (अभियुक्त) एवं फरियादी पक्ष के मध्य अपीलार्थी के भाई बलराम की हत्या का विवाद है। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण के कथनों का विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विश्लेषण सूक्ष्मता से नहीं किया गया है। आहत को कारित हुई चोट दरांते से आने की अपेक्षा टीन से टकराने से आने की संभावना है। उक्त दरांता न्यायालय में पेश भी नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय में अर्थदण्ड की राशि जमा कर दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं दण्डाज्ञा विधि अनुरूप नहीं होने से निरस्तनीय है। इस प्रकार अपीलार्थी ने उसकी ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर उसे दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है। दूसरी ओर अभियोजन ने अपील को निराधार व सारहीन होना बताते हुए अपील निरस्त करने व आरोपी को धारा– 294 व धारा–506 भाग–2 में भी दण्डित किये जाने का निवेदन किया है, क्योंकि उक्त अपराध प्रमाणित थे।

ORDER WRITING
आदेश लेखन

6.a. **ORDER WRITING (CIVIL)**

Write Order on the basis of facts given below :- **10**

Applicant on 30.07.2012 filed an application under S. 34 of the Arbitration and Conciliation Act challenging arbitration award dated 25.11.2011 passed in case No. 40/2006 Radha Builders v. Union of India by N. P. Singh sole Arbitrator.

Respondent challenged the maintainability of the application on the ground that award dated 25.11.2011 has been challenged on 30.7.12. Copy of award was sent to both the parties by the Arbitrator on 28.11.2011 by registered post. Award cannot be challenged after three months of receipt of copy of award. This period cannot be extended. Therefore, present application is barred by limitation and must be dismissed. In support learned counsel for the respondent cited Union of India v. M/s. Popular Construction Co., AIR 2001 SUPREME COURT 4010.

Per contra, learned counsel for the applicant submitted that limitation will commence from the date of receipt of signed copy of award. In this case applicant did not get any copy of signed award from the arbitrator. On opening of the envelope, it was found that one frivolous unsigned typed letter, in which topic stated is Corruption in Railway's was received. It is mala filed and misconduct on part of learned Arbitrator. Arbitrator resides in Priyadarshni Colony situated at Dumana Road and envelop was sent from Ganeshganj Post office about 8 Km. away. Between the residence of Arbitrator and Ganeshganj five post offices are situated where facility of registered post as well as speed post is available. Envelop was containing only one paper which can be ascertained from weight of envelop. Objection is frivolous and baseless and legally not sustainable. Learned counsel for the applicant cited Benarsi Krishna Committee and others v. Karmyogi Shelters Private Limited (2012) 9 SCC 496.

निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर आदेश लिखिए :–

आवेदक ने दिनांक 30.07.2012 को मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण क्र.40/06 राधा बिल्डर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सेवानिवृत्त एन.पी.सिंह एक मात्र आर्बीट्रेटर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 25.11.11 को आक्षेपित किया है।

प्रतिवादी ने आवेदन की प्रचलनशीलता को इस आधार पर आक्षेपित किया है कि दिनांक 25.11.11 को पारित अवार्ड को दिनांक 30.07.12 को आक्षेपित किया गया है। अवार्ड की प्रति दोनों पक्षों को आर्बीट्रेटर द्वारा दिनांक 28.11.11 को पंजीकृत डाक से प्रेषित की गई थीं। अवार्ड को, अवार्ड की प्रति प्राप्त होने के 03 माह बाद आक्षेपित नहीं किया जा सकता और यह समयावधि बढ़ाई भी नहीं जा सकती इसलिए वर्तमान आवेदन समयावधि बाह्य है और इसलिए निरस्त किया जाए। अपने समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेसर्स पापुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी, ए.आई.आर.2001 सुप्रीम कोर्ट 4010 प्रस्तुत किया है।

उक्त के विपरीत आवेदक के अधिवक्ता के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि समयावधि अवार्ड की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि प्राप्त होने की तिथि से गिनी जाएगी। वर्तमान मामले में आवेदक को आर्बीट्रेटर के हस्ताक्षर युक्त अवार्ड की प्रति प्राप्त नहीं हुई। लिफाफा खोलने पर यह पाया गया कि एक तुच्छ अहस्ताक्षरित टंकित पत्र जिसमें रेल्वे में भ्रष्टाचार के बारे में शीर्षक दिया गया था, प्राप्त हुआ था। यह आर्बीट्रेटर का दुर्भावनापूर्ण और दुराचरण है। आर्बीट्रेटर प्रियदर्शिनी कॉलोनी, जो डुमना रोड पर स्थित है, पर निवास करता है और लिफाफा गनेशगंज पोस्ट ऑफिस जो 8 कि0मी0 दूर है, से भेजा गया है। आर्बीट्रेटर के निवास और गनेशगंज के बीच 5 पोस्ट ऑफिस आते हैं, जिन्हें रजिस्टर्ड पोस्ट और साथ ही स्पीड पोस्ट की सुविधा उपलब्ध है। लिफाफे में सिर्फ एक कागज था, जो कि लिफाफे के वजन के आधार पर सुनिश्चित किया जा सकता है। की जा रही आपत्ति तुच्छ व आधारहीन है तथा विधि अनुसार स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने न्याय दृष्टांत बनारसी कृष्ण कमेटी व अन्य बनाम कर्मयोगी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (2012) 9 एस.सी.सी. 496 प्रस्तुत किया है।

OR

6.b. ORDER WRITING (CRIMINAL) 10

Write Order on the basis of facts given below :-

1- Brief facts relevant to this case are the applicant is owner and possession holder of land serve no. 86/13/1 area 0.1620 hectare in Patwarihalka No. 67 Revenue Inspector, Divisional

Depalpur, District Indore. That non applicant has encroached .020 hectare of the disputed land and in that he is constructing a house after erection of columns and beams. This fact came into knowledge of the applicant he requested non applicant to remove possession , but non applicant got annoyed and started abusing and preparing to fight. Applicant lodged First Information in police station after that he filed application under Section 145 Cr.P.C. before the Magistrate and requested to dispossess the non applicant from his land and he be restored in possession. Sub Divisional Magistrate registered the cases under Section 145 of Criminal Procedure Code. The Magistrate passed preliminary order and called status report from Revenue Inspector and after hearing the applicant dismissed the application on 24 June 2020.

2. The contention of learned counsel of applicant is that the Lower Court passed the order under section 145 of Criminal Procedure Code hurriedly without going through the record.

3. The Lower court has not given opportunity to adduce evidence. The Lower court has not considered the fact that applicant is owner of the disputed land and his name is entered (Mutated) in Revenue record as owner and possession holder. Learned lower court before passing stay order called Patwari report and Dismissed the application. Lower court has neither called the responded nor he called the witnesses and passed the order. In proceeding under section 145 possession at date of dispute is deciding factor.

4. The Spot Panchnama prepared by Patwari corroborates the fact is applicant is the owner and encroachment made by non applicant but the lower court without following the procedure dismissed the application. Though without inquiry lower court was not in position to disposed of the application.

5. Learned Counsel for Non Applicant has argued that non applicant was in possession of that land by constructing a house from many years and the house was old one. So after demolishing that house he was reconstructing a Pucca house in

that place. The non applicant has not encroached upon applicant land. In Spot inspection the Revenue authorities has found Non Applicant's old possession and there was no dispute regarding possession. So Lower Court dismissed the application that is according law. The order of lower court as per law. The revision be dismissed.

निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर आदेश लिखिए :–

1. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक भूमि सर्वे नम्बर 86/13/1 रकबा 0.1620 हैक्टर स्थित पटवारी हल्का नंबर 67 रेवेन्यू इंसपेक्टर देवपालपुर जिला इन्दौर का भूमिस्वामी और कब्जेदार है। अनावेदक द्वारा इस भूमि के 0.20 हैक्टेयर पर अतिक्रमण कर लिया गया है और उस पर कालम और बीम खड़े कर मकान का निर्माण किया जा रहा है और जब इस तथ्य की जानकारी आवेदक को हुई तो उसने अनावेदक को कब्जा हटाने के लिये कहा परन्तु अनावेदक नाराज होकर गाली गलौच और झगड़ा लड़ाई शुरू कर दिया। आवेदक द्वारा इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई और तत्पश्चात धारा–145 दं.प्र.सं. के तहत मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन दिया जाकर निवेदन किया गया कि अनावेदक को कब्जे से बेदखल किया जाकर उसे उसकी जमीन का कब्जा दिलाया जाये। उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा धारा– 145 दं.प्र.सं. के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। मजिस्ट्रेट द्वारा प्रारंभिक आदेश जारी किया गया और राजस्व निरीक्षक से मौके की रिपोर्ट तलब की गई तथा आवेदक को सुनने के बाद दिनांक–24.03.2020 को आवेदन निरस्त कर दिया गया।

2. आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा–145 दं.प्र.सं. का आवेदन अभिलेख के अवलोकन किये बिना जल्दबाजी में निराकृत कर दिया है।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक को साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि आवेदक विवादित भूमि का स्वामी है और उसका नाम राजस्व दस्तावेजों में स्वामी और कब्जेदार के रूप में अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने के पूर्व राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट बुलाई है और आवेदन निरस्त कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो प्रतिप्रार्थी को तलब किया है और न ही साक्षियों को बुलाया और आदेश पारित कर दिया गया है। धारा– 145 दं.प्र.सं. के तहत आवेदन दिनांक को कब्जा निर्धारक कारक है।

4. राजस्व निरीक्षक द्वारा दिये गये मौका पंचनामा इस तथ्य को समुचित करता है कि आवेदक भूमि का स्वामी है और अनावेदक द्वारा अतिक्रमण किया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया का पालन किये बिना आवेदन निरस्त कर दिया है, जबकि बिना जांच किये अधीनस्थ न्यायालय आवेदन निरस्त

करने की स्थिति में नहीं था।

5. अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक का कब्जा था और कई वर्षों से उसका पुराना मकान बना हुआ था। इस कारण वह पुराने मकान को गिराकर नया पक्का मकान उसी स्थान पर बना रहा था। उसके द्वारा अनावेदक की जमीन पर कब्जा नहीं किया गया है। राजस्व अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने पर उसका पुराना कब्जा पाया गया है और कब्जे को लेकर कोई विवाद नहीं है। इस तरह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन विधि अनुसार निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसंगत है। पुनरीक्षण निरस्त की जाये।

*****